

## राजस्थान सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,निम्बाहेडा,(चित्तौड़गढ़) ज़िला - चित्तौड़गढ़

राज्य के अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण-पत्र



\*\*

e-Mitra 🌣 e-Mitra

क्रमांक: RJ/2017/राजस्य विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /19180945394 दिनांक:08-03-2019

आवेदक का आधार नम्बर :405166049839

आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : 9999-MH6T-00080

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सुश्री भारती पाटीदार पुत्र/पुत्री श्री भागीरथ पाटीदार राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ़ पता- पाटीदार मोहल्ला, अरनोदा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त सुश्री भारती पाटीदार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 33 PATIDAR (33 पाटीदार) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त सुश्री भारती पाटीदार आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.पं.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)

नोट:

- 1: राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू /ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2: उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगा
- 4.: यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 190188868507
- •राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवओं में नियुक्तियों और पदी तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ ।

उपखण्ड अधिकारी,निम्बाहेड़ा,चितौड़गढ़ं

## Signature valid

Digitally signed by PANKAJ SHARMA Date 2019.03.08 (5:49:12 +05:30

+05:30 Reason Atto Ced U Location: Rasthan

